There is an urgent matter. I would request Dr. U. Venkateswarlu to lay the papers.

TREATY BETWEEN INDIA AND BANGLADESH ON SHARING OF GANGA WATERS AT FARAKKA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri I.K. Gujral, I beg to lay on the Table of the House a copy each (in Hindi and English) of the treaty between India and Bangladesh on sharing of the Ganga Waters at Farakka as mentioned in the Statement which was made in the House today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): As you know Shri I.K. Gujaral has already stated in the House that clarifications will be made tomorrow. So all the clarifications will be taken up tomorrow. I want to take the sense of the House. There are four other Members to speak on the Bill and there are Special Mentions also.

श्री राम देव भंडारी (बिहार): स्पेशल मैंशन कल, यह बिल आज कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): यह डी०डी०ए० वाला बिल आज पूरा कर लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): ठीक है। भंडारी जी, आप शुरु कीजिए।

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 1996-Contd.

श्री राम देव भंडारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि दिल्ली में जो झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जे० जे० कालोनी हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों महेन्द्र यादव, एडवोकेट के नेतृत्व में जंतर-मंतर के पास हजारों लोगों ने 49 दिनों तक धरना दिया था। हमारे मंत्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद जी वहां गए थे और एक डेलीगेशन को लेकर उन्होंने प्राइम-मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे।

5.00 प० प०

मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो कालोनियां हैं, इनको शीघ्र नियमित किया जाए। सरकार द्वारा वहां मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन सारी बातों की भी व्यवस्था की जाए ताकि वे लाखों-लाख लोग जो वहां नर्क की जिन्दगी बिता रहे हैं, उनको उस जिन्दगी से उबारा जा सके।

महोदय, 1989 में जब वी० पी० सिंह की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक काम किया था कि उन लोगों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की थी। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि चूंकि उनमें अधिकांश लोग बिहार, यू० पी०, बंगाल, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से हैं, डी० डी० ए० में इनकी समस्याओं की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। इनका वोट तो लेते हैं, एम० एल० ए० बनते हैं, मगर उसके बाद इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं कहना चाहूंगा कि जिन राज्यों से पांच लाख से अधिक लोग दिल्ली में स्थाई रूप से इन झुग्गी-झोंपड़ियों में बसते हैं, उन राज्यों से एक सदस्य लोक सभा का और एक सदस्य राज्य सभा का होना चाहिए, इनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए डी० डी० ए० में। यह मेरा सुझाव है।

महोदय, दिल्ली में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, यहां निबंधित संस्थाओं द्वारा जो स्कूल खुलते हैं, उनको डी० डी० ए० जमीन देती है और ये सोसाइटी वाले बड़े पैमाने पर उस जमीन का दुरुपयोग करते हैं। स्कूल खोलते हैं, उसकी इतनी ऊंची फीस रखते हैं कि गरीब के बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं होता है और जमीन का दुरुपयोग होता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसकी जांच कराए कि उन लोगों को जहां-जहां जमीनें दी गई हैं, वहां-वहां उन जमीनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं?

महोदय, पिछले दिनों मैं ब्लू लाइन बसों के संबंध में इस सदन में ज़ीरो आॅवर में एक सवाल उठाया था और बताया था कि रोज़ इन बसों से मौतें हो रही हैं। दिल्ली में यातायात की जो व्यवस्था है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सड़कों पर बड़ी भीड़ चल रही है। महोदय, अगर इस व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया तो सड़कों पर जो मौतें हो रही हैं, उनमें काफी वृद्धि